न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोशण अपील संख्या: GCMS No.-2025/194

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1–तालिब हुसैन पुत्र नजीर हुसैन जाति मुसलमान निवासी प्लॉट न के–249, सिलावटों की मस्जिद के पास, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधुपर।		1–मोहम्मद हुसैन पुत्र तालिब हुसैन, 2–शबनम बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन, 3–फलक हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन, 4–कुमारी काफिया पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी प्लॉट नंबर के–249, सिलावटों की मस्जिद के पास, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.04.2025 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) द्वारा प्रकरण संख्या 09/2024 तालिब हुसैन बनाम मोहम्मद हुसैन व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1–अपीलार्थी –अनुपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष –अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा के द्वारा अधीनरथ अधिकरण के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 एवं मांता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम, 2010 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी जोधपुर शहर का निवासी है तथा राजस्थान का मूल निवासी है। प्रार्थी का स्वंय की स्वअर्जित आय से निर्मित निजी स्वामित्व का रहवासीय मकान वाकै प्लोट संख्या के–249, सिलावटों की मस्जिद के पास श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर (राज०) में आया हुआ है। प्रार्थी के स्वामित्व के दस्तावेजात

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

की फोटो कोपी अपीलान्ट द्वारा अधीनरथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी द्वारा अधीनरथ न्यायालय में अपने आवेदन पत्र में आगे यह भी कथन किया कि प्रार्थी पूर्व में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में नौकरी करता था तथा जहाँ प्रार्थी काफी समय पूर्व दिनांक 16–11–2012 को रिटायर्ड हो गया है तथा वर्तमान में प्रार्थी की उम्र करीब 72 साल की है इस प्रकार प्रार्थी स्वतन्त्र भारत का एक वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थी की निकाह मुस्लिम रीति–रिवाज एवं मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार श्रीमति सायरा बानों के साथ हुई थी तथा प्रार्थी एवं श्रीमति सायरा बानों के उक्त वैवाहिक संबंधों से प्रार्थी के दो पुत्र व एक पुत्री हुए जिनके नाम क्रमशः स्वर्गीय श्री मौहम्मद हुसैन, स्व.याकूब व संजीदा है। प्रार्थी के पुत्र याकूब का स्वर्गवास हो गया है तथा प्रार्थी की पत्नी श्रीमति सायरा बानों का स्वर्गवास भी हो गया है. व संजीदा की शादी अनीस चूड़ीवाला के साथ हुई जो अपनी ससुराल अहमदनगर (महाराष्ट्र) में रहती है। इसके अलावा प्रार्थी के पुत्र स्वर्गीय याकूब का निकाह श्रीमति शबाना के साथ हुवा था तथा उनके वैवाहिक जीवन से दो पुत्र जिनके नाम क्रमश नायाब एवं अब्बास है, उत्पन्न हुवे, जो दोनो पुत्र अभी नाबालिग है। प्रार्थी के उक्त पुत्र याकूब का इन्तकाल हो जाने से मरहूम याकूब के दोनो नाबालिग पुत्रों व पत्नी के भरण–पोषण शिक्षा–दीक्षा, चिकित्सा इत्यादि का सारा दायित्व प्रार्थी के द्वारा ही अपनी पेन्शन की राशि से निभाया जा रहा है। प्रार्थी के द्वारा अधीनरथ अधिकरण के समक्ष यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी का पुत्र मौहम्मद हुसैन शुरू से ही आपराधिक प्रवृति का एवं स्वच्छंद विचारों का व्यक्ति रहा है तथा प्रार्थी ने अपने उक्त पुत्र मौहम्मद हुसैन का व्यक्तित्व सुधारने की गरज से ही प्रार्थी ने अपने दूसरे पुत्र मौहम्मद हुसैन का निकाह गांव बालेसर की श्रीमति फरजाना पुत्री श्री खान मौहम्मद सिलावट के साथ किया था तथा जिसका मुकलावा माह फरवरी, 2002 में तय कर मुकलावे की तारीख तय की थी किन्तू मुकलावे की तारीख पर प्रार्थी का उक्त पुत्र मौहम्मद हुसैन ने एक अन्य नाबालिग लड़की शबनम पुत्री मोहम्मद इकबाल निवासी श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर वाली को भगाकर अपने साथ ले गया जिसकी रिपोर्ट उक्त शबनम के पिता मौहम्मद इकबाल द्वारा प्रतापनगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई तथा बाद में प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन ने दिनांक 01–04–2002 को उक्त शबनम बानों के साथ निकाह कर लिया तथा प्रार्थी का पुत्र मौहम्मद हुसैन व शबनम बानों कई वर्षों तक जोधपुर से बाहर अज्ञात स्थान पर रहवास करने लग गये । प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन एवं श्रीमति शबनम के उक्त निकाह के वैवाहिक संबंधों से एक लड़का जिसका नाम फलक हुसैन है व एक पुत्री जिसका नाम काफिया है, उत्पन्न हुवे। प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन के द्वारा शबनम को भगाकर ले जाने के बाबत पुलिस थाना प्रतापनगर, जोधपुर में जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बाबत स्थानीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 28–01–2002 के सस्करण में इस बाबत एक समाचार भी प्रकाशित हुवा, जिसके समाचार पत्र की फोटोकोपी भी प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह भी कथन किया कि प्रार्थी के पुत्र

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मौहम्मद हुसैन ने पहले श्रीमति फरजाना पुत्री खान मौहम्मद सिलावट के साथ निकाह किया किया था किन्तु उक्त फरजाना को मुकलावा करके घर नहीं लाया तथा मुकलावा करने से पहले ही प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन ने उक्त शबनम पुत्री मौहम्मद इकबाल को भगाकर ले गया तथा उसके साथ दिनांक 01–04–2002 को निकाह कर लिया इसलिए प्रार्थी के पुत्र मोहम्मद हुसैन ने अपनी पहली पत्नी श्रीमति फरजाना को मुस्लिम विधि के अनुसार लिखित तलाकनामा के जरिये तलाक देते हुवे उक्त वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर दिया। मौहम्मद हुसैन के द्वारा अपनी पहली पत्नी श्रीमति फरजाना को तलाक देने के बाबत जो तलाकनामा निष्पादित किया उसकी फोटो कोपी भी अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। प्रार्थी ने अपने पुत्र मौहम्मद हुसैन जो शुरू के आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होने के कारण तथा स्वछंद प्रकृति का होने के कारण स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 05–02–2002 के संस्करण में एक शपथपत्र आम सूचना के रूप में प्रकाशित करवाते हुवे यह कथन किया कि उनका सबसे बडा पुत्र मोहम्मद हुसैन जो काफी महीनों से उनके कहे अनुसार नहीं चल रहा है तथा उसका चाल चलन भी सही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र मौहम्मद हुसैन को अपनी चल अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है तथा आज के बाद मौहम्मद हुसैन उसकी किसी प्रकार की सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा मौहम्मद हुसैन से कोई भी व्यक्ति कोई लेनदेन करेगा उसका जवाबदार वो व उनके परिवार के बाकी सदस्य नहीं होंगे। उक्त आम सूचना का प्रकाशन करते हुवे प्रार्थी ने दिनांक 05–02–2002 को ही अपनी स्वयं की स्वअर्जित सम्पतियों से बेदखल कर दिया था। उक्त स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 05–02–2002 की फोटो कोपी अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। प्रार्थी के द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र में अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने अपने जीवनकाल में जोधपुर शहर में श्रमिकपुरा मसूरिया की कच्ची बस्ती जो गान्धी कोलोनी के नाम से जानी व पहचानी जाती है, पर अपना एक रहवासीय मकान बनाया तथा उक्त कच्ची बस्ती के सर्वे लिस्ट में प्रार्थी के उक्त कब्जासुद भूखण्ड का नगर सुधार न्यास, जोधपुर के द्वारा सर्वे किया जाकर सर्वे लिस्ट में उक्त भूखण्ड को भूखण्ड संख्या के–249 चिन्हित किया तथा प्रार्थी के उक्त कब्जासुद भूखण्ड का लाईसेन्स नगर सुधार न्यास, जोधपुर के द्वारा प्रार्थी के नाम से जारी किया गया तथा इसके बाद नगर सुधार न्यास, जोधपुर के द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या के–249 का आवासीय पट्टा (लीजडीड) दिनांक 06–01–2002 को प्रार्थी के नाम से जारी किया गया जो पट्टा दिनांक 16–08–2004 को उप–पंजीयक (प्रथम) जोधपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द सख्या 100 में पृष्ठ संख्या 81 क्रम संख्या 2004008981 पर पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूखण्ड संख्या के–249 का एकमात्र काबिज मालिक स्वामी है तथा उक्त जायदाद भूखण्ड संख्या के–249 प्रार्थी की स्वय की स्वअर्जित सम्पदा है। प्रार्थी के नाम से नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा जारी लाईसेन्स एवं पंजीकृत आवासीय पट्टा (लीजडीड) की फोटो कोपी अधीनस्थ

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी का पुत्र मौहम्मद हुसैन उपरोक्त लिखे अनुसार श्रीमति शबनम को भगाकर ले गया उसके बाद कई वर्षो तक प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन का कोई अता पता नहीं चला तथा काफी वर्षो बाद प्रार्थी का पुत्र मौहम्मद हुसैन अपनी पत्नी शबनम को लेकर जोधपुर आया तथा जोधपुर शहर में वैल्डिग का काम शुरू किया तथा कालान्तर में प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन ने ने श्रमिकपुरा में कुष्ठ आश्रम के सामने ही अपना स्वंय का वैल्डिग का मेसर्स हुसैन वैल्डिग के नाम से कारोबार शुरू कर दिया तथा प्रार्थी के पुत्र के उक्त वैल्डिग के काम में वर्तमान में प्रार्थी के पुत्र के अलावा उसके अधीन चार कारीगर भी काम करते है तथा इससे प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन को प्रतिमाह 1,00,000/– रुपये अक्षरे एक लाख रूपये की आय समस्त प्रकार के खर्चो की कटौती करने के बाद होती है। प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी अपनी बीबी एवं छोटे पुत्र याकूब व उसकी पत्नी के साथ अपने उक्त वर्णित रहवासीय मकान में शान्तिपूर्वक ढंग से रहवास करता था किन्तू प्रार्थी के पुत्र याकूब का इन्तकाल हो जाने एवं प्रार्थी की बीबी सायरा बानों का स्वर्गवास हो जाने पर प्रार्थी के घर में प्रार्थी स्वंय एवं याकूब की बेवा औरत शबाना एवं उसके नाबालिग पुत्र ही रहे। चूंकि प्रार्थी अपनी सेवा से रिटायर्ड हो गया था तथा प्रार्थी के छोटे पुत्र याकूब का इन्तकाल हो गया था इसलिए परिवार में प्रार्थी व उसकी विधवा पुत्रवधू एवं नाबालिग पोते ही थे, इसलिए प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन ने प्रार्थी की इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुवे प्रार्थी को यह कहा कि आप अब वृद्ध हो चुके है तथा याकूब की विधवा एवं बच्चों की देखभाल एवं भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहे है इसलिए मैं वापिस इस घर में आकर रह जाता हूँ तथा आपका एवं याकूब की बीबी बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा तथा परिवार के खर्चा में हर प्रकार का सहयोग करूंगा। चूंकि प्रार्थी वृद्धावस्था के कारण अपनी पेन्शन पर ही निर्भर थे तथा प्रार्थी के पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं था तथा इस कारण प्रार्थी अपना स्वंय का एवं अपने मरहूम पुत्र याकूब के बीबी बच्चों का भरण पोषण एवं शिक्षा–दीक्षा बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था इसलिए प्रार्थी अपने बड़े पुत्र मौहम्मद हुसैन की बातों में आ गया तथा प्रार्थी ने सारे गिले–शिकवे त्याग कर अप्रार्थी मौहम्मद हुसैन एवं उसके बीवी बच्चों को अपने उक्त वर्णित रहवासीय मकान की तल–मंझिल में आकर रहने की स्वीकृति दे दी, जिस पर प्रार्थी का पुत्र मौहम्मद हुसैन अपने बीबी बच्चों को लेकर प्रार्थी के उक्त रहवासीय मकान की तल–मंझिल में आकर रहना शुरू कर दिया। प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी का एक पट्टासुद मकान प्लोट संख्या के–249 सिलावटों की मस्जिद के पास, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर में आया हुवा है जिसमें प्रार्थी अपनी विधवा पुत्रवधू एवं नाबालिग पोतो के साथ रहवास कर रहा है तथा इसी मकान की तल मझिल में प्रार्थी के बड़े पुत्र मौहम्मद हुसैन ने प्रार्थी को अपनी मक्कारी भरी बातों में आकर अपने बीबी बच्चों सहित आकर रहवास करने लग गया है तथा अब प्रार्थी का पुत्र

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मौहम्मद हुसैन अपने उपर आयद कर्जे को चुकाने के लिए आए दिन प्रार्थी को उक्त मकान अपने नाम करने अथवा बेचान करने के लिए दबाव दे रहा है तथा प्रार्थी को यह भी धमकी देता है कि अगर मकान बेचकर उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वह आत्महत्या कर लेगा। कई बार तो इस बात को लेकर प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन एवं उसकी पत्नी शबनम एवं पोते पोती के द्वारा प्रार्थी व उसकी विधवा पुत्रवधू व उसके नाबालिग पुत्रों के साथ गाली–गलौच हाथापाई भी की जा चुकी है तथा अब प्रार्थी का पुत्र प्रार्थी को खुल्ले तौर पर धमकी दे रहा है कि वो प्रार्थी व उसकी पुत्रवधू व बच्चों को इतना हैरान एवं परेशान कर देगा कि उन्हें उक्त मकान मजबूर होकर छोडकर जाना पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन के उक्त कृत्य से प्रार्थी को भारी मानसिक वेदना एवं पीड़ा हो रही है। प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह स्पष्ट सशपथ कथन किया गया कि प्रार्थी जईफ उम्र के व्यक्ति है तथा अब अपना अन्तिम समय शान्तिपूर्वक ढंग से जीने की तमन्ना रखता है किन्तू अपने पुत्र मौहम्मद हुसैन एवं उसकी पत्नी शबनम एवं पोते पोती की उक्त बेजा एवं आपराधिक हरकतों के कारण प्रार्थीगण का जीना हराम हो गया है तथा इस कारण प्रार्थी को भारी मानसिक वेदना एवं पीडाएँ सहन करनी पड़ रही है इसलिए प्रार्थी अपने पुत्र मौहम्मद हुसैन व उसकी पत्नी श्रीमति शबनम व पोते फलक अब्बास व पोती काफिया को अपने मालिकाना स्वत्व के उक्त मकान में कतई रखना नहीं चाहता है तथा उसके विधिक प्रक्रिया से बेदखल करना चाहते है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थी के द्वारा यह भी स्पष्ट कथन किया गया कि प्रार्थी के पुत्र मौ० हुसैन ने पूर्व में भी सितम्बर माह 2024 के पहले सप्ताह में प्रार्थी को जबरदस्ती घर से बेदखल करने का प्रयास करते हुवे प्रार्थी व उसकी विधवा पुत्रवधू के साथ मारपीट गालीगलौच इत्यादि की तो प्रार्थी ने इसकी सूचना पुलिस थाना देवनगर, जोधपुर में देते हुवे आग्रह किया कि प्रार्थी को अप्रार्थी मौहम्मद हुसैन से जान–माल की सुरक्षा प्रदान करावें किन्तू पुलिस थाना देवनगर के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की है तथा इससे अप्रार्थी मौहम्मद हुसैन का हौसला और बढ़ गया है तथा यह प्रार्थी व उसकी पुत्रवधू को को आये दिन मकान खाली करने या बेचान कर बेचान की राशि देने की धमकीयाँ देता है तथा इस प्रकार प्रार्थी का पुत्र मौहम्मद हुसैन व उसके बीची बच्चे प्रार्थी को उक्त मकान बेचान करने के लिए प्रताड़ित कर रहे है तथा प्रार्थी का पुत्र अपने उपर आयब कर्जे से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थी व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों के जीवन को भी कभी भी क्षति पहुंचा सकता है या फिर प्रार्थी व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों को उक्त मकान से जवदरस्ती वेदखल कर सकता है इसलिए प्रार्थी व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों के जीवन और सम्पत्ति को विरोधी पक्षकार मौहम्मद हुसैन, श्रीमति शबनम, फलक हुसैन व काफिया से सुरक्षित करने के लिए इन्हें उक्त परिसर से बेदखल करना आवश्यक हो गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा उक्त याचिका अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अप्रार्थीगण पर नोटिस

अपील अधिकरण, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

तामील होने के बाद अप्रार्थीगण माननीय अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष उपस्थित आये तथा अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 20–1–2026 को अपना जवाब प्रस्तुत करते हुवे यह कथन किया कि अप्रार्थीगण जिस मकान में रहते है वह श्री तालिब हुसैन का भी रहवासीय है तथा हम शामलाती रूप से रहवास करते है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में आगे यह कथन किया कि अप्रार्थीगण उक्त मकान को दिनांक 15–06–2026 के उपरान्त खाली कर कब्जा तालिब हुसैन को सुपुर्द कर देगें। अप्रार्थीगण की ओर से आगे यह कथन किया गया कि अप्रार्थी मौहम्मद हुसैन की पुत्री का विवाह जब भी होता है तो उक्त विवाह के संबंध में परिवार के सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की जायेगी। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जबाब में आगे यह भी कथन किया गया कि अप्रार्थीगण उक्त मकान में केवल अपने हिस्से में एक कमरे में ही मय परिवार रहवास कर रहा है तथा अब पुत्री पूर्णरूप से बालिग हो चुकी है जिसका विवाह करवाने का परिवारवालों द्वारा निर्णय लिया गया है तथा जिस अवस्था में मकान की स्थिति है उस अवस्था में परिवार के सदस्यों द्वारा रहना मुश्किल हो गया है और विवाह के समय मेहमानों का भी रहना मुश्किल होने के कारण वर्तमान में उक्त मकान की छत पर 13बाई 20 का पत्थर का कार्य करवाया गया जिसमें करीब कुल 1,55,000/– रूपये खर्च किये गये है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जबाब में आगे यह भी कथन किया है कि मेरे पिता तालिब हुसैन द्वारा मकान की छत का निर्माण कार्य रुकवाया है उसकी लागत राशि रूपये 1,55,000/–अखरे एक लाख पचपन हजार रूपये पिता श्री तालिब हुसैन से दिलवाये जावे। यह है कि इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अप्रार्थीगण का जबाब आने पर प्रार्थी के द्वारा मौखिक बहस के साथ अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की तथा लिखित बहस के साथ ही साथ प्रार्थी के द्वारा अपनी याचिका के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये :–(1) श्रीमति एस० वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलूरू शहरी जिला और अन्य (2021 (15) एस०सी०सी पृष्ठ 730, (2) रवि कुमार बनाम उपायुक्त सह–अपीलीय न्यायाधिकरण झज्जर और अन्य 2023 (4) आर०सी०आर० सिविल पृष्ठ 81, (3) 19–02–2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महेश्वरी देवी बनाम जी०एन०सी०टी०डी० 2024 सुप्रीम कोर्ट केसेज ऑनलाईन दिल्ली। यह कि माननीय अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा दोनो पक्षों की बहस को सुनने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रार्थी सरकारी पेंशन से आय प्राप्त होने से अपना भरण पोषण करने में सक्षम होने से भरण पोषण की राशि दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का भरण पोषण राशि दिलवाये जाने संबंधी अनुतोष खारिज किया जाता है। जहां तक मकान खाली करवाने से संबंधित विवाद का प्रश्न है इसका निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना ही उचित होगा। भरण पोषण अधिनियम का मुख्य मन्तव्य वृद्धजनों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अतः सम्पति के विवाद एवं बेदखल के संबंध में निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी की उक्त मांग को खारिज किया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार यिा जाता है

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित रहवासीय मकान में निवास करने में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगें और नहीं अपने किसी अन्य प्रतिनिधि से करवायेगें। प्रार्थी के साथ किसी प्रकार से मारपीट, गाली गलौच एवं अभद्र व्यवहार नहीं करे। प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार करे एवं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। अप्रार्थी सख्या 1 को इस बात के लिए भी पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी के बीमार होने की स्थिति में डाक्टर एवं दवाई की उचित व्यवस्था करेगें एवं सेवा–सुश्रुषा करेगें।

अपीलार्थी ने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन करते हुए निम्न आधार प्रस्तुत कियेः–

(क) माननीय अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित आदेश जेर अपील पूर्णतया मनमाना, गैरकानूनी, विधि–विरूद्ध एवं कानून द्वारा सम्मत सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(ख) माननीय अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संचिका पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिकथनों एवं साक्ष्य सामग्री का अपने न्यायिक मस्तिष्क से कतई अवलोकन नहीं किया ।

(ग) अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपना जबाब 20–01–2025 को प्रस्तुत करते हुवे यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वे अपीलान्ट के उक्त मकान को दिनाक 15–6–2026 के उपरान्त खाली कर कब्जा अपीलान्ट तालिब हुसैन को सुपुर्द कर देगें। माननीय अधिनस्थ अधिकरण के समक्ष जब प्रत्यर्थीगण के द्वारा इस प्रकार से उक्त मकान को खाली कर रिक्त कब्जा अपीलान्ट को देने बाबत कथन कर अपनी स्वीकृति दे दिये जाने के बाद भी अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह निर्णय देना कि जहां तक मकान खाली करवाने से संबंधित विवाद का प्रश्न है इसका निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना ही उचित होगा। अधीनस्थ अधिकरण का उक्त मत पत्रावली पर आई सामग्री के विपरीत होने से अपीलाधीन आदेश मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

(घ) यह है कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपना जबाब 20–01–2025 को प्रस्तुत करते हुवे यह कथन किया है कि उनके द्वरा उक्त मकान की छत पर 13 बाई 20 का पत्थर का कार्य करवाया गया है जिसमें कुल 1,55.000/– एक लाख पचम, हजार रूपये खर्च किये गये है, उक्त रूपये मेरे पिता तालिब हुसेन (अपीलान्ट) से दिलवाये जावे। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष उक्त जवाब प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपीलान्ट से उक्त राशि अनुचित रूप से दिलाये जाने का कथन किया है जिससे यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थीगण उक्त मकान में अपीलान्ट से उपरोक्त प्रकार से अनुचित राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उसमें रहवास कर रहे है तथा अपीलान्ट को येन–केन–प्रकारेण हैरान परेशान कर एवं मानसिक व शारीरिक रूप से कष्ट एवं पीड़ा पहुंचा कर उक्त राशि प्राप्त करना चाहते है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

प्रत्यर्थीगण के द्वारा की गई उक्त अनुचित मांग के बाबत किसी प्रकार का कोई मत प्रकट किये बिना ही सक्षम न्यायालय से मकान को खाली करवाने बाबत अपना मत प्रकट करते हुवे कानूनी एवं वाकियाती भारी भूल की है।

(ड) अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपनी याचिका में यह स्पष्ट कथन किया है कि उसका पट्टासुद मकान प्लोट संख्या के–249 सिलावटों की मस्जिद के पास, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर में आया हुवा है जिसमें अपीलान्ट अपनी विधवा पुत्रवधू एवं नाबालिग पोती के साथ रहवास कर रहा है तथा इसी मकान की तल मंझिल में अपीलान्ट के बड़े पुत्र मौहम्मद हुसैन ने अपीलान्ट को अपनी मक्कारी भरी बातों में लेकर अपने बीबी बच्चों सहित आकर रहवास करने लग गया है तथा अब अपीलान्ट का पुत्र मौहम्मद हुसैन अपने उपर आयद कर्ज को चुकाने के लिए आए दिन अपीलान्ट को उक्त मकान अपने नाम करने अथवा बेचान करने के लिए दबाव दे रहा है तथा अपीलान्ट को यह भी धमकी देता है कि अगर मकान बेचकर उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वह आत्महत्या कर लेगा। कई बार तो इस बात को लेकर अपीलान्ट के पुत्र मौहम्मद हुसैन एवं उसकी पत्नी शबनम एवं पोते पोती के द्वारा अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू य उसके नाबालिग पुत्रों के साथ गाली–गलीच हाथापाई भी की जा चुकी है तथा अब अपीलान्ट का पुत्र अपीलान्ट को खुल्ले तौर पर धमकी दे रहा है कि वो अपीलान्ट व उसकी पुत्रवधू व बच्चों को इतना हैरान एवं परेशान कर देगा कि उन्हें उक्त मकान मजबूर होकर छोड़कर जाना पडेगा। अपीलान्ट के द्वारा अपनी याचिका में किये गये उक्त कथनों की पुष्टि प्रत्यर्थीगण के द्वारा दिये गये जबाब याचिका दिनांक 20–1–2025 में किये गये अभिकथनों से होती है जिसमें प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलान्ट से रूपये 1,55,000/– अखरे एक लाख पचपन हजार रूपये दिलाये जाने की मांग की है। इस प्रकार प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद हुसैन के उक्त कृत्य से प्रार्थी को भारी मानसिक वेदना एवं पीड़ा हो रही है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा उक्त तथ्यों पर अपने न्यायिक मस्तिष्क का कतई प्रयोग नहीं किया तथा अपीलाधीन आदेश केवलमात्र कयासी दलीलों के आधार पर पारित कर कानूनी एवं वाकियाती भारी मूल की है, अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(च) यहकि अपीलान्ट एक जईफ उम्र का व्यक्ति है तथा अब अपना अन्तिम समय शान्तिपूर्वक ढंग से जीने की तमन्ना रखता है किन्तू अपने पुत्र मौहम्मद हुसैन एवं उसकी पत्नी शबनम एवं पोते पोती की उक्त बेजा एवं आपराधिक हरकतों के कारण अपीलान्ट का जीना हराम हो गया है तथा इस कारण अपीलान्ट को भारी मानसिक वेदना एवं पीडाएँ सहन करनी पड़ रही है इसलिए अपीलान्ट प्रत्यर्थीगण यानि अपने पुत्र मौहम्मद हुसैन व उसकी पत्नी श्रीमति शबनम व पोते फलक अब्बास व पोती काफिया को अपने मालिकाना स्वत्व के उक्त मकान में कतई रखना नहीं चाहता है तथा उसके विधिक प्रक्रिया से बेदखल करना चाहते है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमति एस० वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलूरू शहरी जिला और

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अन्य (2021 (15) एस०सी०सी पृष्ठ 730 में यह अभिनिर्धारित किया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास बेदखली काक आदेश देने का अधिकार हो सकता है, यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता के भरण पोषण और सुरक्षा को संनिश्चित करना आवश्यक और समीचीन है और बेदखली भी भरण पोषण और सुरक्षा के अधिकार के प्रवर्तन का ही एक मामला होगा। माननीय अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीर पर माननीय अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा अपना कोई मत प्रकट किये बिना यह कहते हुये कि मकान को खाली करवाने के विवाद को सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णीत किया जावेगा उक्त मत प्रकट कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती भारी भूल की है।

(छ) यहकि अपीलान्ट के पुत्र प्रत्यर्थी मौ० हुसैन ने पूर्व में भी सितम्बर माह 2024 के पहले सप्ताह में अपीलान्ट को जबर जबरदस्ती घर से बेदखल करने का प्रयास करते हुवे अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू के साथ मारपीट गाली गलौच इत्यादि की तो अपीलान्ट ने इसकी सूचना पुलिस थाना देवनगर, जोधपुर में देते हुवे आग्रह किया कि अपीलान्ट को प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन से जान–माल की सुरक्षा प्रदान करावें किन्तू पुलिस थाना देवनगर के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की है तथा इससे प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन का हौसला और बढ गया है तथा वह अपीलान्ट व उसकी पुत्रवधू को आये दिन मकान खाली करने या बेचान कर बेचान की राशि देने की धमकीयों देता है तथा इस प्रकार अपीलान्ट का पुत्र प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन व उसके बीबी बच्चे अपीलान्ट को उक्त मकान बेचान करने के लिए प्रताड़ित कर रहे है तथा अपीलान्ट का पुत्र अपने उपर आयद कर्जे से मुक्ति पाने के लिए अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों के जीवन को भी कभी भी क्षति पहुंचा सकता है या फिर अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों को उक्त मकान से जबदरस्ती बेदखल कर सकता है इसलिए अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों के जीवन और सम्पत्ति को विरोधी पक्षकार मौहम्मद हुसैन, श्रीमति शबनम, फलक हुसैन व काफिया से सुरक्षित करने के लिए इन्हें उक्त परिसर से बेदखल करना आवश्यक हो गया है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा उक्त कथन स्पष्ट रूप से किये है, जिनका खण्डन प्रत्यर्थीगण के द्वारा कतई नहीं किया गया बल्कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वे दिनांक 15–6–2026 को उक्त मकान को खाली कर देगें तथा इसके साथ ही साथ प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलान्ट से रूपये 1,55,000/– अखरे एक लाख पचपन हजार की मांग भी अपने जबाब के जरिये की गई है। इस संबंध में अपीलान्ट के द्वारा कानूनी नजीर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महेश्वरी देवी बनाम जी०एन०सी०टी०डी० 2024 सुप्रीम कोर्ट केसेज ओनलाईन दिल्ली निर्णय दिनांक 19–02–2024 प्रस्तुत किया जिस प्रकरण में भी यहीं अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने जीवन और सम्पति की रक्षा के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है तो ऐसी सूरत में यह बेदखली का

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश पारित करना प्राधिकारी का कर्तव्य बनता है। इसी प्रकार रवि कुमार वनाम उपायुक्त सह–अपीलीय न्यायाधिकरण झज्जर और अन्य 2023 (4) आर०सी०आर० सिविल पृष्ठ 81 अन्य के मामले में भी बेदखली के आदेश को बरकाररखते हुवे यह निर्णय पारित किया कि न्यायाधिकरण को इस अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। माननीय अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीरात पर किसी प्रकार का कोई मत प्रकट किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी एवं वाकियाती भारी भूल की है, अतः इस आधार पर भी अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(ज) यहकि अपीलान्ट की स्वयं की स्वअर्जित जायदाद उपरोक्त वर्णित मकान की तल मंझिल में अपीलान्ट के बड़े पुत्र प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन ने अपीलान्ट को अपनी मक्कारी भरी बातों में लेकर अपने बीबी बच्चों सहित आकर रहवास करने लग गया है तथा अब अपीलान्ट का पुत्र प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन अपने उपर आयद कर्जे को चुकाने के लिए आए दिन अपीलान्ट को उक्त मकान अपने नाम करने अथवा बेचान करने के लिए दबाव दे रहा है तथा अपीलान्ट को यह भी धमकी देता है कि अगर मकान बेचकर उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वह आत्महत्या कर लेगा। कई बार तो इस इस बात को लेकर अपीलान्ट के पुत्र प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन एवं उसकी पत्नी शबनम एवं पोते पोती के द्वारा अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व उसके नाबालिग पुत्रों के साथ गाली–गलौच हाथापाई भी की जा चुकी है तथा अब अपीलान्ट का पुत्र अपीलान्ट को खुल्ले तौर पर धमकी दे रहा है कि वो अपीलान्ट व उसकी पुत्रवधू व बच्चों को इतना हैरान एवं परेशान कर देगा कि उन्हें उक्त मकान मजबूर होकर छोडकर जाना पड़ेगा। इस प्रकार अपीलान्ट के पुत्र मौहम्मद हुसैन के उक्त कृत्य से अपीलान्ट को मारी मानसिक वेदना एवं पीडा हो रही है। अपीलान्ट जईफ उम्र के व्यक्ति है तथा अब अपना अन्तिम समय शान्तिपूर्वक ढंग से जीने की तमन्ना रखता है किन्तू अपने पुत्र प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन एवं उसकी पत्नी शबनम एवं पोते पोती की उक्त बेजा एवं आपराधिक हरकतों के कारण अपीलान्ट का जीना हराम हो गया है तथा इस कारण अपीलान्ट को भारी मानसिक वेदना एवं पीडाएँ सहन करनी पड़ रही है। अपीलान्ट के पुत्र मौ० हुसैन ने पूर्व में भी सितम्बर माह 2024 के पहले सप्ताह में अपीलान्ट को जबरदस्ती घर से बेदख़ल करने का प्रयास करते हुवे अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू के साथ मारपीट गाली गलौच इत्यादि की तो अपीलान्ट ने इसकी सूचना पुलिस थाना देवनगर, जोधपुर में देते हुये आग्रह किया कि अपीलान्ट को प्रत्यर्थी नौहम्मद हुसैन से जान माल की सुरक्षा प्रदान करावें किन्तू पुलिस थाना देवनगर के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की है तथा इससे प्रत्यर्थी मौहम्मद हुसैन का हौसला और बढ़ गया है तथा वह अपीलान्ट व उसकी पुत्रवधू को आये दिन मकान खाली करने या बेचान कर बेचान की राशि देने की धमकीयों देता है तथा इस प्रकार अपीलान्ट का पुत्र मौहम्मद हुसैन व उसके बीवी बच्चे अपीलान्ट को उक्त मकान बेचान करने

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

के लिए प्रताडित कर रहे है तथा अपीलान्ट का पुत्र अपने उपर आयद कर्जे से मुक्ति पाने के लिए अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों के जीवन को भी कभी भी क्षति पहुंचासकता है या फिर अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों को उक्त मकान से जबदरस्ती बेदखल कर सकता है इसलिए अपीलान्ट व उसकी विधवा पुत्रवधू व बच्चों के जीवन और सम्पति को प्रत्यर्थी पक्षकार मौहम्मद हुसैन, श्रीमति शबनम, फलक हुसैन व काफिया से सुरक्षित करने के लिए इन्हें उक्त परिसर से बेदखल करना आवश्यक हो गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-04-2025 को अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत याचिका में वो सारे तत्व मौजूद है इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमत्ति एस० वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलूरू शहरी जिला, एवं महेश्वरी देवी बनाम जी०एन०सी०टी०डी० में पारित निर्णयों के आधार एवं भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुवे अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जावे तथा प्रत्यर्थीगण को अपीलान्ट के स्वामित्व के मकान वाकै प्लोट संख्या के-249, सिलावटों की मस्जिद के पास, श्रमिकपुरा, मसूरिया जोधपुर (राज०) से बेदखल किये जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे। अन्य कोई आदेश/अनुतोष जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुवे अपीलान्ट के पक्ष में न्यायोचित हो, पारित किया जाकर अपीलान्ट की अपील को सव्यय स्वीकार किया जावे।

अपील दर्ज (जीसीएमएस नं 2025/194) कर प्रत्यर्थीगण//अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को नोटिस प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 03.02.2026 को उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण उसके साथ लड़ाई झगडा एंव गाली गलोच करते हैं। जिस कारण वह अपना स्व-अर्जित जायदाद मकान नं. के-249 सिलावटों की मस्जिद के पास, श्रमिकपुरा, जोधपुर से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा हटवाना चाहता है तथा अन्य कोई अनुतोष जो प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायोचित हो चाहता है। उक्त मकान खाली करने के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ अधिकरण में कथन किया था। उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 मोहम्मद हुसैन ने उपस्थित होकर अपनी बहस में बतलाया कि उसके द्वारा उक्त मकान की मरम्मत में 1,55,000/- रूपये खर्च किये गये हैं। जो अपीलार्थी से दिलवाये ज़ावें। वो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ उक्त मकान के सिर्फ एक कमरे में रहवास कर जैसे-तैसे गुजारा कर रहा है। परिस्थितियाँ सुधरने पर वह मकान खाली कर देगा। उभयपक्षकारान् द्वारा उचित आदेश किये जाने की इस्तदुआ की।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान की बहस व प्रस्तुत न्यायकि दृष्टांत पर मनन किया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 में "अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण–(1) एक वरिष्ठ नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, जो स्वयं अपनी आय से या स्वयं द्वारा स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।" का प्रावधान है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के कवच/बचाव के लिए है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने से पेंशन प्राप्त करने से वे अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)